

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 05/विधि-14-99/2019-26/20-21 प्रो.स्वी०

/राँची, दिनांक 05-03-21

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 10.08 लाख (रुपये दस लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश-स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत 12 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के लिये प्रत्येक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को रु० 28,000/- प्रति माह के दर से दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिये पारिश्रमिक भुगतान हेतु कुल रु० 10.08 लाख (रुपये दस लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के भुगतान से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	मद		संख्या	राशि	अभियुक्ति
1	12 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वित्तीय वर्ष 2020-21 के दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक के भुगतान हेतु	विभागीय मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत	12	1008000	@ Rs. 28000/- per month for 3 months
Total				1008000	
Say :			Rs. 10.08 lakh		

3. विभागीय पत्रांक-808 दिनांक 11.02.2021 द्वारा e-Governance के अन्तर्गत 12 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को कार्य पर रखे जाने संबंधित आदेश संसूचित है।

4. इस कार्य पर होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष - 70 - ई-गवर्नेन्स विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. ई०-गवर्नेन्स मद (TSP) में वर्ष 2020-21 के स्वीकृत बजट उपबंध में निम्न बजटीय उपबंध है :-

शीर्ष 49S-4701-80-796-70-07-59 :- रु० 150.00 लाख

6. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
11. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

ज्ञापांक :- 05/विविध-14-99/2019-26/20-21 प्र०स्ती०

सरकार के संयुक्त सचिव
/राँची, दिनांक 05-03-2021

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

ज्ञापांक :- 05/विविध-14-99/2019-26/20-21 प्र०स्ती०

सरकार के संयुक्त सचिव
/राँची, दिनांक 05-03-2021

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

ज्ञापांक :- 05/विविध-14-99/2019-26/20-21 प्र०स्ती०

सरकार के संयुक्त सचिव
/राँची, दिनांक 05-03-2021

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

ज्ञापांक :- 05/विविध-14-99/2019-26/20-21 प्र०स्ती०

सरकार के संयुक्त सचिव
/राँची, दिनांक 05-03-2021

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

ज्ञापांक :- 05/विविध-14-99/2019-26/20-21 प्र०स्ती०

सरकार के संयुक्त सचिव
/राँची, दिनांक 05-03-2021

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव